भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 9

उत्तर देने की तारीख- 03/02/2025

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

†*9. **श्री जयन्त बसुमतारी:**
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना की शुरुआत के बाद से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) आकांक्षी जिलों के ब्लॉकों में केजीबीवी खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार की इनकी समीक्षा करने की कोई योजना है;
(घ) वर्तमान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किराए के परिसर और आंशिक रूप से निर्मित भवनों में संचालित होने वाले केजीबीवी का ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केजीबीवी में शिक्षकों के रिक्त पदों और इस संबंध में अखिल भारतीय औसत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री जयन्त बसुमतारी और श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना (आईएसएसई) अर्थात समग्र शिक्षा का क्रियान्वयन कर रहा है। वर्ष 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के तहत विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का प्रावधान है। असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) अर्थात कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी जिलों में केजीबीवी के लिए वर्षवार आवंटित और उपयोग की गई निधियां निम्नानुसार है:

*(*रु लाखों में*)*

वर्ष	एनईआर		बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र	
	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
2018-19	11823.05	6926.86	632.84	297.84
2019-20	14791.74	7761.56	888.48	483.26
2020-21	13993.52	7242.36	863.31	455.82
2021-22	13106.72	6335.33	1268.90	578.28
2022-23	24121.13	13229.54	2462.75	794.84
2023-24	38336.36	21592.22	3215.01	880.43

(स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट)

(ख) और (ग): केजीबीवी की स्थापना शैक्षणिक रूप से पिछड़े उन अभिज्ञान ब्लॉकों (ईबीबी) में की जाती है, जहां 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना और बजट में नए केजीबीवी को स्वीकृत देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिसकी उसके बाद जांच की जाती है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा उसे अनुमोदित किया जाता है।

(घ): राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 284 कार्यात्मक केजीबीवी में से कुल 18 केजीबीवी किराये के परिसर से संचालित हो रहे हैं तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी केजीबीवी आंशिक रूप से निर्मित भवनों में संचालित नहीं हो रहा है।

(ङ): पूर्वोत्तर में 284 कार्यात्मक केजीबीवी में शिक्षकों के 55 पद रिक्त हैं (असम में 52 और सिक्किम में 3)। राष्ट्रीय स्तर पर, 5,138 कार्यात्मक केजीबीवी में, शिक्षकों के 28,333 स्वीकृत पदों में से 3860 रिक्त हैं।

*****